प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 1086/2004

जगेश्वर प्रसाद अवधिया, पिता- स्वर्गीय श्री कालीराम अवधिया, आयु- लगभग 60 वर्ष, बिल सहायक, एम.पी.एस.आर.टी.सी., रायपुर, वर्तमान पता कंकाली तालाब के पीछे, रायपुर, छत्तीसगढ़

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- जिला मजिस्ट्रेट रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---- प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद- शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलार्थी की ओर से : श्री केशव देवांगन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ राज्य की ओर से : श्री यू. के. एस. चंदेल, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

09.09.2025

इस अपील में विशेष प्रकरण सं. 01/2004 में विद्वान विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित 09.12.2004 दिनांकित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष किया और निम्नानुसार दण्डादेश दिया :

दोषसिद्धि		दण्डादेश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13 (1) (घ) सहपठित धारा 13 (2)		एक वर्ष का सश्रम कारावास और रु. 1000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान के व्यतिक्रम की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास; एक वर्ष का सश्रम कारावास और रु. 1000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान के व्यतिक्रम की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 24.10.1986 को अपीलार्थी रायपुर में एम.पी.एस.आर.टी.सी. की संभागीय कार्यशाला में बिल सहायक (बिल असिस्टैंट) के रूप में कार्यरत् था। उस समय, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता अशोक कुमार वर्मा से वर्ष 1981 से 1985 के मध्य उसकी सेवा अवधि के दौरान उसके बकाया (एरियर्स) के बिल को चुकाने के संबंध में एक लोक सेवक होते हुए रु. 100/- के अवैध परितोषण की मांग की थी जिसके लिए शिकायतकर्ता ने लोकायुक्ता के समक्ष शिकायत की। इसके बाद, एक ट्रैप दल का गठन किया गया और रु. 50/- के दो मुद्रा नोटों पर फेनोल्फथालीन पाउडर छिड़का गया तथा उन्हें शिकायतकर्ता की जेबों में रखा गया और शिकायतकर्ता को उन मुद्रा नोटों को अपीलार्थी को देने का निर्देश दिया गया और उसके बाद इशारा करने का भी निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता ने उन नोटों को अपीलार्थी को सौंप दिया और इशारा करने किया जिस पर ट्रैप पार्टी के सदस्यों ने तुरंत पकड़ लिया। 25.10.1996 को ट्रैप दल साक्षियों के साथ पुरानीबस्ती, रायपुर पहुंची और शिकायतकर्ता को अपीलार्थी से मिलने का निर्देश दिया। फिर, अपीलार्थी और शिकायतकर्ता अवधियापारा चौक के पास सड़क की ओर जाने लगे और वहाँ शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को धन दिए और संकेत दिया। इसके

बाद ट्रैप दल मौके पर पहुंची और अपीलार्थी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपीलार्थी के हाथ से मुद्रा नोट बरामद किए गए और उन नोटों को सोडियम कार्बोनेट घोल में धोया गया। वे गुलाबी हो गए। परीक्षण का परिणाम सकारात्मक था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण पूर्ण करने के बाद विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने दोष से इनकार किया और उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (घ) के तहत अपराधों के लिए अभियोजन चलाया गया।

2. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को स्थापित करने के लिए 8 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त ने अपराध दोष से इनकार किया; निर्दोष होने का और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक् किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद उपरोक्त अपराध के लिए अपीलार्थी को सिद्धदोष किया और दण्डादेश दिया, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश पर सवाल उठाते हुए यह अपील की गई है।

4. (i) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। वे निवेदन करते हैं कि अ.सा.-2, अशोक कुमार वर्मा के साक्ष्य के अनुसार, जब उन्होंने अपीलार्थी, जो उस समय बिल सहायक था, से बकाया राशि का अनुरोध किया तो अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बकाया राशि उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही निर्मोचित (रीलीज़) की जाएगी। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस संचार के समय, अपीलकर्ता बकाया राशि तैयार करने या वितरित करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि शिकायतकर्ता ने 24.10.1986 को अनुरोध किया था जबकि उच्च प्राधिकारी से बकाया राशि अनुमोदन और तैयारी का आदेश 19.11.1986 को प्राप्त हुआ था, जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी अनुरोध किए जाने के दिनांक पर राशि निर्मोचित करने में सक्षम नहीं था। इसका समर्थन करते हुए ब.सा. 3

एम. बी. डाबली ने अभिकथन किया कि शिकायतकर्ता के पिछले वेतन को निर्मोचित करने का आदेश शिकायत के लगभग एक महीने बाद प्राप्त हुआ था, जबकि ब.सा. 4 पी. के. तिवारी ने कथन किया कि उच्च प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अपीलार्थी बकाया राशि संवितरित नहीं कर सकता था और आदेश 19.11.1986 (प्र.**D**/1) को जारी हुआ। एस. के. ओहरी (ब.सा.-5) ने यह भी पुष्टि की कि मुख्य कार्यालय भोपाल से बिल तैयार करने के आदेश की अनुपलब्धता के कारण, अपीलार्थी डी/2 और डी/3 दस्तावेजों को प्रदर्शित करते हुए बकाया बिल तैयार नहीं कर सका।

(ii) विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने परितोषण की मांग को साबित करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अ.सा.-2 ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने केवल यह संकेत दिया था कि निर्मोचन उच्च प्राधिकरण की मंजूरी के बाद होगी। ब.सा.-1 आर. के. मूर्ति ने कथन किया कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को रु. 20/- देने का प्रयास किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि अपीलार्थी अनुमोदन के बिना कार्य नहीं कर सकता था, और इसी तरह ब.सा.-2 ने एम. पी. एस. आर. टी. सी. में अपनी पदस्थापना के दौरान इस इनकार की पुष्टि की। तदानुसार, अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं किया गया है। इन तर्कों को सुदृढ़ करने के लिए, **बी. जयराज बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2014 13 एस. सी. सी. 55; पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2015 10 एस. सी. सी. 152; सी. सुकुमारन बनाम केरल राज्य, 2015 11 5 एस. सी. सी. 314; और एन. विजयकुमार बनाम तमिल नाडु राज्य, 2021 3 एस. सी. सी. 687** के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय के निर्णयों का अवलंब लिया है।

(iii) विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (घ) सहपठित धारा 2 और भा.द.वि. की धारा 161 के तहत तैयार किया गया था, जबकि विचारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1988 की धारा 7 और 13 (1) (घ) के तहत किया गया। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन के लिए मंजूरी 01.08.1988 को नए अधिनियम के प्रवर्तन से पहले 18.02.1988 को जारी की गई थी। **सुखदेव सिंह जामवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2004 क्रि. एज. जे. 4338)** में निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुराने अधिनियम के तहत दी गई मंजूरी को नए अधिनियम के तहत मंजूरी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दोनों अधिनियमों के उपबंध यांत्रिक रूप से विनिमेय नहीं हैं। वे निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में, चूंकि मंजूरी पुराने अधिनियम के तहत जारी की गई थी और नए अधिनियम के तहत विचारण किया गया, इसलिए कार्यवाही स्पष्ट रूप से दूषित है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी विचारण को रद्द किए जाने और दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. (क) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्तमान प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक अच्छी तरह से सिद्ध प्रकरण है, जिसमें अपीलार्थी ने, एक लोक सेवक होते हुए, शिकायतकर्ता से उसका बकाया बिल बनाने के लिए रु.100/- के रिश्वत की मांग की है और उसे स्वीकार किया है। वे निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपराध के सभी आवश्यक घटकों के तहत सबूत के भार का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

(ख) विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नोटों के रासायनिक अंकन (फेनॉल्फथेलिन पाउडर) सहित सभी पूर्व-ट्रैप औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, शिकायतकर्ता अपीलार्थी से मिला और शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व-निर्धारित संकेत प्राप्त करने पर, ट्रैप दल ने अपीलार्थी को रंगे हाथों पकड़ लिया। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब सोडियम कार्बोनेट घोल (जो घोल गुलाबी हो गया) में डुबोया गया तो अपीलार्थी के हाथ फेनॉल्फथेलिन के लिए सकारात्मक पाए गए। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि

विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अपराध के लिए अपीलार्थी को सही रीति से सिद्धदोष किया है, अतः वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिवचनों तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. सुविधा के लिए, परितोषण की मांग, स्वीकृति, बरामदगी के संबंध में सुसंगत निर्णय विधियों को उद्धृत करना उचित होगा, जो नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :

8. **(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1724** में प्रतिवेदित **नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार)** के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"68. उपरोक्त विवेचन से जो सामने आता है वह संक्षेप में निम्नानुसार है:-

(क) अभियोजन पक्ष द्वारा जारी एक तथ्य के रूप में एक लोक सेवक द्वारा परितोषण की मांग और स्वीकृति का प्रमाण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (घ) (**i**) और (**ii**) के तहत अभियुक्त लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

(ख) अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले परितोषण की मांग और बाद में स्वीकृति को वास्तविकता के रूप में साबित करना होगा। इस तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति में हो सकता है।

(ग) इसके अलावा, परितोषण की मांग और स्वीकृति के प्रमाण को प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।

(घ) प्रश्नाधीन तथ्य अर्थात् लोक सेवक द्वारा परितोषण की मांग और स्वीकृति, को साबित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगाः

(i) यदि लोक सेवक से कोई मांग किए बिना रिश्वत देने वाले द्वारा भुगतान करने का प्रस्ताव है और लोक सेवक केवल प्रस्ताव को स्वीकार करता है और परितोषण प्राप्त करता है, तो यह अधिनियम की धारा *7* के अनुसार स्वीकृति का मामला है। ऐसे प्रकरण में लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) दूसरी ओर, यदि लोक सेवक माँग करता है और रिश्वत देने वाला माँग स्वीकार करता है और मांगा गया परितोषण दिया जाता है जो बदले में लोक सेवक द्वारा प्राप्त की जाती है, यह प्राप्ति का प्रकरण है। प्राप्ति के प्रकरण में, परितोषण की पूर्व मांग लोक सेवक द्वारा की जाती है। यह अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) (i) और (ii) के तहत अपराध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) दोनों मामलों में, रिश्वत देने वाले द्वारा दिए गए प्रस्ताव और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा एक तथ्य के रूप में साबित करना होगा। दूसरे शब्दों में, बिना किसी और चीज़ के परितोषण की केवल स्वीकृति या प्राप्ति इसे अधिनियम की धारा *7* या धारा 13 (1) (घ), (i) और (ii) के तहत अपराध नहीं बनाएगी। अतः अधिनियम की धारा *7* के तहत, अपराध को स्थापित करने के लिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए जो रिश्वत देने वाले से निकलता है जिसे लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया जाता है जो इसे एक अपराध बना देगा। इसी तरह, लोक सेवक द्वारा एक पूर्व मांग जब रिश्वत देने वाले द्वारा स्वीकार की जाती है और वहाँ एक भुगतान किया जाता है जो लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) और (i) और (ii) के तहत प्राप्ति का अपराध होगा।

(ङ) परितोषण की मांग और स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य का अनुमान विधि के न्यायालय द्वारा एक निष्कर्ष के माध्यम से केवल तभी लगाया जा सकता है जब मूलभूत तथ्य सुसंगत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित हो गए हों, न कि उसके अभाव में। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, न्यायालय को यह विचार करते हुए तथ्य का अनुमान लगाने का विवेकाधिकार है कि मांग का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है या नहीं। निःसंदेह, तथ्य की धारणा अभियुक्त द्वारा खंडन के अधीन होती है और खंडन के अभाव में धारणा बनी रहती है।

(च) यदि शिकायतकर्ता 'प़क्षद्रोही' हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है या विचारण के दौरान अपना साक्ष्य देने के लिए अनुपलब्ध रहता है, तो परितोषण की मांग को किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य देकर साबित किया जा सकता है, जो मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा फिर से साक्ष्य दे सकता है या अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रकरण को साबित कर सकता है। विचारण न ही कम होता है और न ही इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त लोक सेवक को दोषमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(छ) जहां तक अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, विवाद्यक में तथ्यों के प्रमाण पर, धारा 20 न्यायालय द्वारा यह अनुमान लगाया जाना अनिवार्य बनाती है कि परितोषण उक्त धारा में उल्लिखित हेतुक या पुरस्कार के उद्देश्य से थी। उक्त अनुमान को न्यायालय द्वारा विधिक अनुमान या विधि में एक अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए। निःसंदेह, उक्त धारणा भी खंडन के अधीन है; धारा 20 अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) (1) और (2) पर लागू नहीं होती है।

(ज) हम स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के तहत विधि में धारणा बिंदु (ड.) में ऊपरोक्त तथ्य की धारणा से अलग है क्योंकि पहली एक अनिवार्य धारणा है जबकि दूसरी विवेकाधीन प्रकृति की है।

9. **पनलाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य**, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1191 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

> "8. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि विशेष रूप से सामग्री में की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 165-क के लागू होने के बाद रिश्वत देने वाले व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया है, शिकायतकर्ता को एक सहयोगी की तुलना में किसी भी बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है और अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाले सामग्री विवरणों में पुष्टि पर जोर दिया जाना होगा.....

10. रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्ति की स्थिति और एक सरकारी कर्मचारी को आलिप्त करने वाले उसके साक्ष्य का आकलन करते समय आवश्यक सावधानी की सर्वोच्च न्यालालय द्वारा **मोहम्मद शम्सुद्दीन बनाम केरल राज्य, 1995 एस.सी.सी. (3) 351**, के प्रकरण में अपने निर्णय में जांच की गई थी, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"**12. अब खुद को रिश्वत के प्रकरण तक सीमित रखते हुए, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि एक लोक अधिकारी को रिश्वत देने की पेशकश करने वाला व्यक्ति परितोषण स्वीकार करने के अपराध में एक सहयोगी के रूप में है, परन्तु ऐसे प्रकरण में आवश्यक पुष्टि की प्रकृति को उसी कठोर परीक्षण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए जो आम तौर पर एक सरकारी गवाह के प्रकरण में लागू होता है। यद्यपि रिश्वत देने वालों को आम तौर पर साथी माना जाता है, परन्तु उनमें विभिन्न प्रकार और श्रेणीकरण होते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरणों में शिकायतकर्ता वह व्यक्ति होता है जो तकनीकी और विधिक अर्थों में रिश्वत देता है क्योंकि हर ट्रैप प्रकरण में जहां भी शिकायत की जाती है, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे

अभियुक्त को पैसे देने होते हैं जो वस्तुतः रिश्वत का धन होता है जिसकी मांग की जाती है और इस तरह के ट्रैप के बिना रिश्वत देना सफल नहीं हो सकता है। जब लोक सेवक द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी मांग की जाती है जो इच्छुक नहीं है और यदि सार्वजनिक भलाई करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करता है और शिकायत दर्ज करता है तो ट्रैप सफल होने के लिए उसे धन देना होता है। व एक अन्य प्रकार का रिश्वत देने वाला हो सकता है जो अपना कार्य पूरा करने के लिए सदैव धन देने को रजामंद रहता है और कार्य पूरा करा लेने के बाद वह शिकायत भेज सकता है। यहाँ वह किए गए अपराध के संबंध में सह अपराधी है। इस प्रकार सह अपराधियों की कई श्रेणियाँ हैं अतः उन प्रकरणों के मध्य भी विभेद किया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रिश्वत देता है और जहां किसी को नुकसान या नुकसान की धमकी के तहत रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है, अर्थात् प्रपीड़न। एक व्यक्ति जो इस श्रेणी में आता है और जो जाल (ट्रैप) बिछाने के लिए एक पक्ष बन जाता है, वह एक अलग आधार पर खड़ा होता है क्योंकि वह केवल धमकी या जबरदस्ती का शिकार होता है जिसके अधीन वह किया गया था। जहां ऐसे साक्षी रिश्वत देने वाले होने के कारण "सहयोगियों" की श्रेणी में आते हैं, तो सबसे पहले न्यायालय को संलिप्तता की मात्रा पर विचार होगा और फिर विवेक के नियम के रूप में यदि आवश्यक हो तो पुष्टि की तलाश करनी होगी। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकरण में पुष्टि की सीमा और प्रकृति भिन्न हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः सर्वोच्च न्यालालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से जो सामने आता है, वह यह है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और न्यायालय को संलिप्तता की डिग्री पर विचार चाहिए और फिर यदि आवश्यक हो, तो विवेक के नियम के

रूप में पुष्टि की तलाश करनी चाहिए। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकरण में पुष्टि की सीमा और प्रकृति भिन्न हो सकती हैं।

12. **एम. आर. पुरुषोतम बनाम कर्नाटक राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 247** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब रिश्वत की मांग अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की जाती है, तो माँग के सबूत के बिना केवल अभियुक्त के कब्जे में मुद्रा नोट होना और बरामद किया जाना अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के तहत अपराध को स्थापित नहीं करेगा।

13. **बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एस. सी. सी. 5 के प्रकरण** में, माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यह विधि में एक स्थिर स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध का गठन करने के लिए अपरिहार्य है और केवल मुद्रा नोटों की बरामदगी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध नहीं हो सकती है जब तक कि यह सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन को रिश्वत के रूप में स्वीकार किया था। अधिनियम की धारा 20 के तहत लोक सेवक के विरुद्ध अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब परितोषण की स्वीकृति की मांग साबित हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, 2010 ए. आई. आर. एस. सी. सी. 1115** और **सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2169 के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।**

15. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभियोजन पक्ष मांग, स्वीकृति और बरामदगी को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

16. वर्तमान प्रकरण में कथित मांग के संबंध में एकमात्र साक्ष्य शिकायतकर्ता (अ.सा.2) का अभिसाक्ष्य है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि जब उसने अपना

बकाया बिल तैयार करने के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया, तो अपीलार्थी ने रु. 100/- की परितोषण की मांग की। मांग के अधिकथन की पुष्टि करने हेतु इस कथन के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। अतः किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के अभाव में, यह न्यायालय इस स्तर पर साक्षियों के अभिसाक्ष्य की बारीकी से जांच करना उचित समझता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी मांग वस्तुतः की गई थी।

17. इस प्रकार इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न विचारार्थ उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से परितोषण की मांग की थी और क्या अपीलार्थी द्वारा कथित परितोषण की कोई स्वीकृति थी।

18. शिकायतकर्ता- अशोक कुमार (अ.सा. 2) ने अभिकथन किया कि वह सन् 1977 से निगम में 'हेल्पर' के रूप में नियोजित था। 29.09.1981 को उसे बिना कोई कारण बताए सेवा से हटा दिया गया था। उसने कहा कि उसने रायपुर में श्रम न्यायालय के समक्ष बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिसने अपने 07.01.1984 दिनांकित आदेश द्वारा उसकी बहाली का निर्देश दिया। उक्त आदेश के अनुपालन में, दुर्ग में कार्मिक अधिकारी ने एक नियुक्ति आदेश जारी किया, और उसे डिपो में तैनात किया गया। उन्हें आगे बताया गया कि निर्णय के अनुसार उसे बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। 23.04.1986 को औद्योगिक न्यायालय ने भी उसके पक्ष में निर्णय लिया। अभियुक्त, जो उस समय बिल सहायक के रूप में कार्यरत् था, ने उससे कहा कि केवल धन के भुगतान पर ही वह बकाया के लिए बिल तैयार करेगा। लगभग 8-10 दिनों बाद, जब उसने अभियुक्त से फिर से पूछा कि क्या बकाया का आदेश प्राप्त हो गया है, अभियुक्त ने पुष्टि की कि आदेश वास्तव में प्राप्त हो गया है, परन्तु कहा कि जब तक धन का भुगतान नहीं किया जाता, बिल तैयार नहीं किया जाएगा। उसने इसका पालन करने से इनकार कर दिया और इसके बाद इंस्पेक्टर, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एन्टी करप्शन ब्यूरो), रायपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। निरीक्षक ने उसकी शिकायत दर्ज की, उसे स्वतंत्र साक्षियों से मिलवाया और ट्रैप बिछाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। मुद्रा नोटों पर फेनोल्फथेलिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पाउडर लगाया गया, और संपर्क में आने पर रंग परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक सोडियम कार्बोनेट घोल तैयार किया गया। नोटों को उसे इस निर्देश के साथ सौंपा गया था कि वह उन्हें अनावश्यक रूप से न छुए और मांग करने पर ही उन्हें अभियुक्त को दे। उसे आगे निर्देश दिया गया कि चिन्हित नोट सौंपने के बाद, उसे ट्रैप पार्टी को संकेत के रूप में अपने सिर पर अपना हाथ रखना होगा। ये निर्देश उसके हस्ताक्षर वाले एक ज्ञापन में अभिलिखित किए गए थे। स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में एक प्रारंभिक पंचनामा तैयार किया गया था, जिसे उसने न्यायालय में प्रदर्श **P**/3 के रूप में पहचाना था। उसने आगे अभिकथन किया कि सुबह कुछ सामग्रियाँ जैसे कि सोडियम कार्बोनेट पाउडर, बोतल, सील करने की सामग्रियाँ तथा अन्य सामग्रियाँ आरक्षक राम द्वारा एक झोले में रखे गए थे, जो उन्हें एक जीप में ले गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस साक्षी के अनुसार, सुबह लगभग 8:30 बजे वह, आरक्षक- सेंग सिंह, अब्दुल राशिद, एस. के. दीवान और धनंजय और अन्य एक जीप मेंद निकले। सुबह लगभग 09:30 बजे, वे अवधियापारा पहुँचे। वे सब वहाँ जीप से उतर गए। इस साक्षी ने कथन किया कि उसे अपीलार्थी के घर भेजा गया था और बाकी लोग वहीं खड़े थे। वह अपीलार्थी को उसके घर के बाहर बुला रहा था, तत्पश्चात् अपीलार्थी ने कहा कि वह आ रहा था। इस साक्षी ने कथन किया कि उस समय के लिए, वह वहाँ घूम रहा था। इसके बाद, अपीलार्थी आया और वे दोनों घूमते हुए एक-दूसरे से बात कर रहे थे। इस साक्षी ने कथन किया कि अपीलार्थी ने उससे फिर कहा कि अगर वह उसे धन देगा तो ही वह उसका बिल तैयार कर देगा। इस साक्षी ने कहा कि अपीलार्थी ने उससे कहा कि अगर वह रु. 100 देता है। तभी उसका बिल तैयार होगा। इसके बाद, अपीलार्थी ने उसे अपनी कमीज की जेब से रु.100/- दिए, फिर अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह जल्द ही उसका बिल तैयार कर देगा। इस साक्षी ने कथन किया कि तत्पश्चात् अपीलार्थी ने धन को अपनी जेब में रखा और तत्पश्चात् इस साक्षी ने ट्रैप दल को संकेत देकर चौकन्ना कर दिया। इसके तुरंत बाद, धनंजय, एस. के. दीवान, अब्दुल राशिद और आरक्षक सेन सिंह का छापा मारने

वाला दल आगे आया और अभियुक्त को पकड़ लिया और चिंहित राशि बरामद कर ली। उसने आगे अभिकथन किया कि अभियुक्त का हाथ सोडियम कार्बोनेट घोल में धोया गया जो गुलाबी रंग का हो गया। धुलाई को सीलबंद बोतलों में संरक्षित किया गया, चिह्नित किया गया और जब्त कर लिया गया। अभियुक्त के पास से ₹ 50/- के दो नोट बरामद किए गए, जो पहले अंकित कर उसे दिए गए थे।

प्रतिपरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसे यह नहीं पता था कि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की एक प्रति, जब मंडल कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तो कभी भोपाल में मुख्य कार्यालय को भेजी गई थी या नहीं। उसने आगे स्वीकार किया कि अपीलीय निर्णय के लगभग 15 दिन बाद, वह पहली बार अभियुक्त के कार्यालय गया था। उसने इस सझाव से इनकार किया कि पहले ही दिन अभियुक्त ने बिल तैयार करने के लिए उनसे 20 रुपये की मांग की थी, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि अंबिका प्रसाद और अन्य कर्मचारी उस समय कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने स्वीकार किया कि चपरासी राम सुहाग कार्यालय में बैठता था, परन्तु कथन किया कि उसे नहीं पता कि राम सुहाग ने उसे कभी अपनी उपस्थिति में अभियुक्त को रु. 20/- रुपये देते हुए देखा था। उसने आगे कथन किया कि इसके लगभग 8-10 दिन बाद, वह फिर से संभागीय कार्यालय गया, जहाँ उसने विधि विभाग के एक अधिकारी को देखा, यद्यपि उसे उसका नाम याद नहीं था। उसने स्वीकार किया कि किसी ने उसे बताया था कि अपीली आदेश पहले ही प्राप्त हो चुका है, परन्तु वह यह नहीं बता सकता कि क्या अभियुक्त को वास्तव में वह प्राप्त हुआ था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि जब अभियुक्त अपने घर से बाहर आया तो शिकायतकर्ता ने धन सौंपने का प्रयास किया परन्तु अभियुक्त ने यह कहते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि उसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

19. अब्दुल राशिद (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि 24.10.1986 को जब वह पशु चिकित्सा विभाग, रायपुर में सहायक संचालक के तौर पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सेवाएँ प्रदान कर रहा था तब उसे मदन गोपाल पाठक के आवास पर बुलाया गया था जहाँ इंस्पेक्टर धनंजय और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उस समय, शिकायतकर्ता (अ.सा.2) द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में अभिलिखित था कि जगदीश्वर प्रसाद (अपीलार्थी) ने शिकायतकर्ता से उसका बिल तैयार करने के लिए रु. 100/- के रिश्वत की मांग की थी। इसमें आगे लेख था कि शिकायतकर्ता कोई रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वह विधिक कार्रवाई चाहता था। साक्षी ने कथन किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत की शुद्धता की पुष्टि की थी और आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे। दस्तावेज़ पर उसके साथ-साथ साक्षी के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने रु. 50/- के दो नोट पेश किए, जिन पर कांस्टेबल राम द्वारा फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगाया गया। सोडियम कार्बोनेट घोल तैयार कर एक प्रदर्शन किया गया था, जो दूषित नोटों को उसमें डुबोने पर गुलाबी हो गया था। एक प्रारंभिक ज्ञापन तैयार किया गया था, जिसमें मुद्रा नोटों की संख्या और प्रदर्शन के परिणामों को दर्ज किया गया था, जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर थे। फिर ट्रैप दल, जिसमें इंस्पेक्टर बालकदास धनंजय (अ.सा.8), दीवान सिंह, आरक्षकगण और अन्य शामिल थे, एक जीप में निकले और जयधीदापारा के पास रुके। शिकायतकर्ता को अभियुक्त की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए आगे भेजा गया था, और उसके संकेत देने के बाद, छापा मारने वाला दल अंदर आया और अभियुक्त को पकड़ लिया। अन्वेषण अधिकारी- बालकदास धनंजय (अ.सा.8) ने अपना परिचय दिया और अभियुक्त से रिश्वत लेने के बारे में पूछताछ की। साक्षी ने कथन किया कि इसके बाद, अभियुक्त का हाथ सोडियम कार्बोनेट घोल में धोया गया, जो गुलाबी हो गया। शिकायतकर्ता का हाथ धुला द्रव्य भी लिया गया, जो रंगहीन रहा। रु. 50/- के दो चिंहित नोट अभियुक्त की जेब से बरामद किए गए और उनकी संख्या (नंबर) पहले अभिलिखित किए गए नोटों के नंबर से मेल खाते थे। जब सोडियम कार्बोनेट घोल में फिर से डुबाया गया, रंग गुलाबी हो गया। उसकी उपस्थिति में सभी धुलाई वाले द्रव्य और बरामद वस्तुओं को सील कर दिया गया,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चिह्नित किया गया और जब्त कर लिया गया। कार्यवाही के दौरान तैयार किए गए एक जप्ती पत्रक (प्रदर्श **P**/4) और अन्य दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर थे।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, साक्षी ने स्वीकार किया कि कार्यवाही के कुछ पहलू उसके प्रत्यक्ष अवलोकन के अधीन नहीं थे। उसने स्वीकार किया कि छापे के समय वह कुछ दूरी पर घर के बाहर रहा और शिकायतकर्ता और अभियुक्त के मध्य सही बातचीत नहीं सुन सका। उसने आगे स्वीकार किया कि उसने केवल शिकायतकर्ता को एक पूर्व निर्धारित संकेत के रूप में अपने सिर पर हाथ उठाते हुए देखा, जिसके बाद अभियुक्त को पकड़ लिया गया। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने न तो व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को शिकायतकर्ता से धन स्वीकार करते हुए देखा, न ही उसने उसकी उपस्थिति में कोई नई मांग करते हुए देखा। उसने आगे स्वीकार किया कि जिस क्षेत्र में कार्यवाही की गई थी, वह अन्य द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सार्वजनिक सड़क थी, यद्यपि वह यह नहीं बता सकता कि क्या किसी राहगीर ने रिश्वत की कथित स्वीकृति की पुष्टि की है। उसने यह भी स्वीकार किया कि, समय बीत जाने के कारण, वह मौके पर आदान-प्रदान किए गए सटीक शब्दों को याद नहीं कर सकता था और ट्रैप के कुछ विवरण जैसे कि सोडियम कार्बोनेट घोल में आरोपी के हाथों को सटीक रूप से किसने धोया, उसकी स्मृति में स्पष्ट नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अ.सा.6 संजय कुमार, नायब तहसीलदार ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि उच्च प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त हो उनके अनुसार, मौके पर पहुंचने के बाद जब शिकायतकर्ता अभियुक्त के घर की ओर बढ़ रहा था, तो अभियुक्त अपने घर से बाहर आया और लगभग 25 कदम की दूरी से उसने शिकायतकर्ता को अभियुक्त को धन सौंपते देखा। उसने आगे कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा संकेत दिए जाने के तुरंत बाद, ट्रैप दल ने अभियुक्त को पकड़ लिया, उससे चिंहित नोट बरामद किया और सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोने पर अभियुक्त का हाथ गुलाबी हो गया।

प्रतिपरीक्षण में, अ.सा.-6 ने स्वीकार किया कि प्रदर्शन से पहले, इसका संचालन करने वाले अधिकारी ने अपने हाथों को सोडियम कार्बोनेट घोल से ठीक से नहीं धोया था और इसके बारे में कोई पूर्व निर्देश नहीं दिए गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ₹50 के दो नोट प्राप्त होने के बाद, फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगाया गया था, परन्तु वह यह नहीं बता सका कि पाउडर लगाने से पहले नोटों को सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोया गया था या नहीं। उसने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों नोटों में से किसी को भी घोल में डूबा हुआ नहीं देखा, और शिकायतकर्ता द्वारा नोटों को अपनी जेब में डालने से पहले, जेब को सोडियम कार्बोनेट घोल से नहीं धोया गया था। उसने पुष्टि की कि ट्रैप दल में अलग-अलग फेनॉल्फथेलिन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट घोल था, परन्तु वह यह सत्यापित नहीं कर सका कि दोनों नोटों के लिए सभी प्रक्रियात्मक चरणों का सही ढंग से पालन किया गया था या नहीं। उसने स्वीकार किया कि वह दूरी और राहगीरों की उपस्थिति के कारण शिकायतकर्ता और अभियुक्त के मध्य बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। उसने स्वीकार किया कि उसने व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को धन स्वीकार करते हुए नहीं देखा, कि वह स्थान एक सार्वजनिक स्थान था जहाँ लोग घूम रहे थे, और वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि नोट जबरन दिए गए थे या अभियुक्त की जेब में डाल दिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अन्वेषण अधिकारी- बालाकदास धनंजय (अ.सा.8) ने कथन किया कि 1980 से 1990 तक उसने लोकायुक्ता कार्यालय, रायपुर में निरीक्षक और बाद में पुलिस उप अधीक्षक के रूप में कार्य किया। कार्यवाही के दौरान, शिकायतकर्ता ने 50 रुपए के दो मुद्रा नोट प्रस्तुत किए, जिन्हें फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगाकर उसकी शर्ट की जेब में रखा गया। लेन-देन को हाथ के इशारों से इंगित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। इस साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे मौके के लिए निकले, एक चैक-पॉइंट पर शिकायतकर्ता को ले जाने वाले वाहन को रोका गया और ट्रैप दल ने अभियुक्त को गौर से देखा। 10-15 मिनट के बाद शिकायतकर्ता ने नोट दिया जिसे अभियुक्त ने अपनी शर्ट की जेब में

रख लिया। फिर ट्रैप दल ने चिंहित नोटों के लेन-देन की पुष्टि करने के लिए अभियुक्त के हाथों की जांच की।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आरक्षक रामजी के साथ मिलकर श्री मदन गोपाल पाडी के आवास पर नोटों को अभियुक्त को सौंपने से पहले उन पर फेनॉल्फथेलिन पाउडर की एक हल्की परत लगाई थी। उसने आगे स्वीकार किया कि, पाउडर लगाने से पहले, नोटों को सोडियम कार्बोनेट घोल में नहीं डुबोया गया था। साक्षी ने यह भी कहा कि ट्रैप दल और शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के मध्य की दूरी, जब वे बातचीत कर रहे थे, लगभग 20-25 गज थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस स्थान पर वे और ट्रैप दल खड़े थे, वे अपीलार्थी का घर नहीं देख सकते थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने नहीं सुना कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के मध्य क्या बातचीत हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. पी. के. तिवारी, जिसका ब. सा. 1 के रूप में परीक्षण किया गया है, ने अभिकथन किया कि वह अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है यद्यपि अभियुक्त उनके विभाग में नियोजित था। एक सामान्य प्रचलन के रूप में, बिल सहायक द्वारा तैयार किए जाते हैं, और विधिवत पारित होने के बाद, भुगतान किया जाता है। आम तौर पर, यदि बिल बिना किसी आपत्ति के और उचित परिस्थितियों में रखा जाता है तो मंजूरी प्राप्त करने के बाद, भुगतान निर्मोचित किया जाता है। साक्षी ने आगे कहा कि प्रदर्श **D**-2 उसके द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जिसकी तारीख 19/11/1986 है, जिसे उसने सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया था। यह पत्र शिकायतकर्ता के बकाया बिल की तैयारी से संबंधित है। इस तरह के आदेश के बिना, वेतन के बकाया का भुगतान नहीं किया जा सकता था।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त पत्र उसके द्वारा मुख्य निर्माण प्रबंधक, रायपुर को संबोधित किया गया था, न कि आयुक्त को। उसने यह बता पाने में असमर्थता व्यक्त की कि नवंबर 1986 में डिवीजनल वर्कशॉप, रायपुर में

काम करने वाले एकाउंटेंट कौन थे। उसने दोहराया कि वह इस प्रकरण में संलिप्त होने से पहले अभियुक्त को नहीं जानते थे, परन्तु गिरफ्तारी के बाद ही उसने उसे जाना। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श **D**-2 सत्यापित प्रति है, और मूल को मुख्य निर्माण प्रबंधक, एम.पी.एस.आर.टी.सी. को भेजा गया था। उन्होंने यह अनभिज्ञता भी व्यक्त की कि उक्त संचार पर एम.पी.एस.आर.टी.सी. की संभागीय कार्यशाला द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई थी।

23. ब.सा.2: आर. के. मूर्ति (आर. एस. राव) ने कथन किया कि वह फाफडीह, रायपुर, जिला रायपुर में एम. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम की मंडल कार्यशाला के स्थापना अनुभाग में एक वरिष्ठ लिपिक (सीनियर क्लर्क) के रूप में कार्यरत् है। अपीलार्थी भी बिल सहायक के रूप में उसी विभाग में कार्यरत् था और वर्तमान में डिपो संख्या 2, रायपुर में तैनात है। उसने अभिकथन किया कि घटना 12- 13 वर्ष पुरानी है। उस समय शिकायतकर्ता अभियुक्त के पास आया था और उससे बहस कर रहा था। बहस को देखते ही साक्षी अभियुक्त के पास गया और मामले के बारे में पूछताछ की। अभियुक्त ने उसे सूचित किया कि शिकायतकर्ता उस पर बिना किसी आदेश के एक बिल तैयार करने का दबाव बना रहा था और मेज़ की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि वह उसे ₹20/- देने की कोशिश कर रहा है। साक्षी ने ₹20/- का उक्त नोट भी देखा। उस समय, एक राम सुहाग, वाटरमैन भी मेज़ के पास मौजूद था। साक्षी ने शिकायतकर्ता से परिचित होने के कारण उसे समझाने का प्रयास कि आदेश के बिना कोई बिल तैयार नहीं किया जा सकता है। फिर भी, शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि एक बार आदेश आने के बाद, अभियुक्त को बिल तैयार करना चाहिए। अभियुक्त ने उससे फिर कहा कि उचित आदेश के बिना वह बिल तैयार नहीं करेगा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को यह कहते हुए धमकी दी कि "वह एक पुलिस अधिकारी का बेटा है, वह उसे जेल भेज देगा", और फिर वहाँ से चला गया। साक्षी ने आगे अभिकथन किया कि बाद में जब अभियुक्त ट्रैप हुआ और लोकायुक्त अधिकारीगण जांच हेतु मण्डल कार्यालय आए तब उसने अधिकारियों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूरी घटना के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने उससे कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप न करे अन्यथा उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि कब, कहाँ और किसकी उपस्थिति में ट्रैप चलाया गया था। उसने यह भी कथन किया कि उसे यह पता नहीं है कि किस बिल के संबंध में शिकायतकर्ता और अभियुक्त के मध्य झगड़ा हुआ था। उसने स्वेच्छा से स्पष्ट किया कि यह वेतन के बकाया के बारे में था। उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि मेज पर पड़ा ₹20/- का नोट वास्तव में रिश्वत के रूप में रखा गया था या नहीं, परन्तु उसने कहा कि अभियुक्त ने उन्हें बताया था कि शिकायतकर्ता उन्हें कार्य कराने के लिए ₹20/- देने की कोशिश कर रहा था। साक्षी ने आगे स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध कथित ₹20/- की पेशकश के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि अभियुक्त या किसी और द्वारा कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि कर्मचारियों के मध्य इस तरह के झगड़े उनके विभाग में आम थे। उसने स्पष्ट किया कि सुसंगत समय में वह स्थापना अनुभाग में काम कर रहा था न कि बिल अनुभाग में, जबकि अभियुक्त बिल अनुभाग में कार्यरत् था। उसने आगे कहा कि वह और अभियुक्त दोनों एक ही कमरे में एक-दूसरे के सामने बैठते थे। उसने स्वीकार किया कि राम सुहाग, वाटरमैन, 1986 से उसके विभाग में काम कर रहा था और अब भी कर रहा है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि शिकायतकर्ता का अभियुक्त के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था या वह अभियुक्त को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा था। उसका कथन उन्हें पढ़कर सुनाया गया, जिसे उसने सही माना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. ब.सा.3: राम सुहाग (वाटरमैन) ने कथन किया कि वह अभियुक्त को जानता है जो उसके कार्यालय में बिल सहायक के तौर पर कार्यरत् था। साक्षी स्वयं वहाँ वाटरमैन (पानी वाला) के तौर पर नियोजित था। उसने अभिकथन किया कि घटना से 2-3 वर्ष पूर्व जब वह अभियुक्त की मेज पर पानी देने गया था, उसने अभियुक्त का एक व्यक्ति से विवाद

होते हुए देखा, जो साक्षी के अनुसार, न्यायालय से आया था। साक्षी ने आगे अभिकथन किया कि उक्त व्यक्ति अभियुक्त से कोई बिल तैयार करने के संबंध में बहस कर रहा था। अभियुक्त द्वारा मना किए जाने पर उसने गंभीर परिणाम की धमकी दी। साक्षी ने उस व्यक्ति को अभियुक्त से यह कहते हुए भी सुना कि अगर वह बिल तैयार नहीं करेगा, तो वह "उसे देख लेगा" क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी का बेटा था। उसी समय मूर्ति बाबू भी वहाँ आ गए। इसके बाद, साक्षी पानी देने के लिए एक अन्य मेज पर चला गया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त के साथ झगड़ा करने वाले उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसकी उपस्थिति में कोई झगड़ा नहीं हुआ था और अभियुक्त द्वारा उसे जो बताया गया था, उसके आधार पर वह झूठी गवाही दे रहा था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि क्योंकि अभियुक्त उसके विभाग से संबंधित है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए झूठा साक्ष्य दे रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. एम. पी. डाबली (ब.सा. 4) ने कथन किया कि वर्ष 1984-86 में वह रायपुर में क्षेत्रीय कार्यशाला में एक लिपिक (क्लर्क) के रूप में के रूप में कार्यरत् था और अपीलार्थी वहाँ बिल सहायक के तौर पर पदस्थ था। साक्षी ने आगे अभिकथन किया कि जब तक रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय को मंजूरी के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते, कोई भी ईकाई बिल नहीं तैयार कर सकती थी। वर्तमान प्रकरण में, मंजूरी आदेश लगभग एक महीने बाद प्राप्त हुआ था, और उसके बाद ही बकाया बिल तैयार किया जा सका। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायतकर्ता का बकाया बिल वास्तव में मंजूरी आदेश प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था, और उससे पहले, अपीलकर्ता स्वतः ही बिल नहीं बना सकता था। उसने आगे स्पष्ट किया कि इस तरह के बकाया बिल तैयार करने के निर्देश महाप्रबंधक के नाम से जारी किए जाते थे, और इस तरह के निर्देश प्राप्त करने पर, उसने बिल तैयार करने के लिए अपीलार्थी को मामला चिह्नित किया था। इस प्रकार, अपीलार्थी

के बिल की तैयारी आधिकारिक आदेश के अनुसार थी जो नियत समय के बाद प्राप्त हुआ था, अन्यथा नहीं।

प्रतिपरीक्षण में, उसने 24.10.1986 को रायपुर में ट्रैप कार्यवाही की जानकारी होने से इनकार किया और दोहराया कि उच्च अधिकारियों से मंजूरी के अभाव में बिल तैयार नहीं किया जा सकता था।

26. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजनों में, परितोषण की मांग का प्रमाण अनिवार्य है। वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ता (अ.सा.2 – अशोक कुमार) ने अपने नियोजन का इतिहास तथा उसकी पुनः बहाली कराने वाली विधिक कार्यवाही के बारे में बताते हुए अभिकथन किया कि अभियुक्त ने उससे बकाया का बिल बनाने के लिए रु. 100/- की मांग की थी। यद्यपि, छाया साक्षी अब्दुल राशिद (अ.सा.3) ने भी मांग के आरोप की पुष्टि नहीं की। यद्यपि उसने ट्रैप से पहले की औपचारिकताओं का समर्थन किया, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने न तो शिकायतकर्ता और अभियुक्त के मध्य बातचीत सुनी और न ही अभियुक्त को वास्तव में चिंहित धन स्वीकार करते देखा। अतः उसका अभिसाक्ष्य बरामदगी के प्रक्रियात्मक पहलुओं तक सीमित है तथा मांग के महत्वपूर्ण तत्व को स्थापित नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अ.सा. 6 - नायब तहसीलदार संजय कुमार दीवान, यद्यपि औपचारिक रूप से ट्रैप से जुड़े थे, ने स्वीकार किया कि वह लगभग 25 कदम की दूरी से देख रहा था, कि वह शिकायतकर्ता और अभियुक्त के मध्य बातचीत नहीं सुन सकता था, और उसने व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को धन स्वीकार करते हुए नहीं देखा था। आगे उसने फेनॉल्फथेलिन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट घोल के संचालन में कई खामियों को स्वीकार किया, जो ट्रैप की प्रक्रियात्मक अखंडता पर संदेह पैदा करते हैं। ये स्वीकृतियाँ उसके अभिसाक्ष्य के संभावित मूल्य को काफी हद तक कमजोर करती हैं।

28. अन्वेषण अधिकारी - बालाकदास धनंजय (अ.सा.8) ने इसी तरह स्वीकार किया कि ट्रैप दल 20-25 गज की दूरी पर तैनात थी और न तो बातचीत सुन सकती थी और न ही अभियुक्त को नोट स्वीकार करते हुए देख सकती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि फेनॉल्फथेलिन लगे नोटों को उनके उपयोग से पहले सोडियम कार्बोनेट घोल में नहीं डुबोया गया था, जो मानक प्रक्रिया से एक विचलन है। अतः उसका अभिसाक्ष्य शिकायतकर्ता और छाया साक्षी के साक्ष्य संबंधी अंतर को कम नहीं करती है।

29. उपरोक्त अभिकथनों पर संचयी रूप से विचार करने पर, मांग के संबंध में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य विसंगतियों से भरा हुआ है। शिकायतकर्ता ने ट्रैप के समय स्पष्ट मांग की पुष्टि नहीं की; छाया साक्षी ने स्वीकृति नहीं देखी; और आधिकारिक साक्षी (अ.सा. 6 और अ.सा. 8) संव्यवहार को सुनने या देख पाने लायक स्थान से बहुत दूर थे। जो बच जाता है वह केवल चिंहित मुद्रा की बरामदगी है, जो मांग के प्रमाण के अभाव में, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए विधि में अपर्याप्त है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से मांग साबित नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. जहाँ तक परितोषण की स्वीकृति का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता (अ.सा.2), छाया साक्षी (अ.सा.3), स्वतंत्र अधिकारी (अ.सा.6) और अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.8) के साक्ष्य का अवलंब लिया है। यद्यपि, उनके अभिकथनों के ध्यानपूर्वक वाचन से पता चलता है कि इनमें से किसी भी साक्षी ने व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को धन स्वीकार करते नहीं देखा था। अ.सा.3 ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को चिंहित मुद्रा प्राप्त करते हुए नहीं देखा। अ.सा.6 और अ.सा.8 दोनों ने आगे स्वीकार किया कि वे न तो बातचीत सुन सकते थे और न ही वास्तविक संव्यवहार देख सकते थे। इस प्रकार, स्वीकृति का तत्व प्रत्यक्ष चक्षु संबंधी अभिसाक्ष्य द्वारा अप्रमाणित रहता है।

31. जहां तक जप्ती का संबंध है, यह सच है कि अभियुक्त से चिंहित नोट बरामद किए गए थे और सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोने पर उसका हाथ गुलाबी हो गया था, इस

बिंदु पर अभियोजन पक्ष का साक्ष्य एक मौलिक विरोधाभास से ग्रस्त हैं। अ.सा. 6 (नायब तहसीलदार) ने कथन किया कि ट्रैप धन ₹100/- का एक नोट था; जबकि अ.सा. 3 (छाया साक्षी) एवं अ.सा. 8 (अन्वेषण अधिकारी) ने स्पष्ट अभिकथन किया है कि ₹50/- के दो नोटों पर फेनॉल्फथेलिन लगाया गया था और उन्हें बरामद किया गया था। अ.सा. 2 स्वयं दोनों संस्करणों के मध्य भटक गया, एक स्तर पर यह कहते हुए कि अभियुक्त ने ₹100/- की मांग की, परन्तु बाद में स्वीकार किया कि यह ₹50 के दो नोटों के रूप में था। चिंहित नोटों के मूल्य के बारे में इस तरह की विसंगति अभियोजन पक्ष के प्रकरण की जड़ पर प्रहार करती है, क्योंकि दोष स्थापित करने वाली सामग्री की पहचान ही संदिग्ध हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. ब.सा. 2 (आर. के. मूर्ति), ब.सा. 3 (राम सुहाग) और ब.सा. 4 (एम. पी. डाबली) के अभिकथनों से उभरते रक्षा संस्करण इस संदर्भ में महत्व प्राप्त करते हैं। उनका विवरण, यद्यपि बचाव पक्ष के साक्षियों से, इस सुझाव के अनुरूप है कि बरामदगी रोपण या धक्का देने का परिणाम था, न कि सचेत स्वीकृति का। ब.सा. 4 ने आगे स्पष्ट किया कि बकाया बिल पूर्व मंजूरी के बिना तैयार नहीं किया जा सकता था, जिससे अभियुक्त के इस रुख का समर्थन होता है कि उसके पास धन की मांग या स्वीकार करने का कोई अवसर नहीं था।

33. एक संचयी मूल्यांकन पर, जबकि अभियुक्त से चिंहित नोटों की जप्ती विवाद में नहीं है, रिश्वत की स्वैच्छिक स्वीकृति के निर्विवाद साक्ष्य का अभाव, इस बारे में स्पष्ट विरोधाभास के साथ कि क्या ट्रैप धन में एक ₹100 नोट या दो ₹50 नोट शामिल थे, इस तरह की जप्ती को विधिक रूप से अनिर्णायक बनाता है। अतः संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए क्योंकि अभियुक्त की मांग और सचेत स्वीकृति की ठोस पुष्टि के बिना केवल बरामदगी से विधिक रूप से स्वीकृति और जप्ती की धारणा नहीं की जा सकती है।

34. इस प्रकार, जब बरामदगी का तथ्य औपचारिक रूप से साबित हो गया है, मांग के प्रमाण के अभाव, स्वीकृति के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों और ट्रैप धन के मूल्य के बारे में गंभीर विसंगति को देखते हुए इसका साक्ष्य मूल्य काफी कमजोर हो गया है। परिणामस्वरूप बरामदगी, अकेले, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकती है।

35. दाण्डिक अपील सं. 1157/2015 में 19.05.2025 में निर्णीत **लोकायुक्त पुलिस राज्य, दावनगरी बनाम सी. बी. नागराज** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कण्डिका 25 में निम्नानुसार टिप्पणी की है :

> "25. यह ध्यान देने योग्य है कि 05.02.2007 तक, जब प्रत्यर्थी ने भौतिक/स्थल निरीक्षण किया था, तब तक रिश्वत की कोई मांग होने की कोई फुसफुसाहट भी नहीं है। इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता शाम 5:30 बजे पैसे लेकर प्रत्यर्थी के कार्यालय वापस गया, अभियोजन पक्ष का प्रकरण उसके साक्षियों के अभिसाक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थीने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि वह पहले ही संबंधित फाइल को अग्रेषित कर चुका है। इस प्रकार, यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो शिकायतकर्ता के लिए उस राशि का भुगतान करने का कोई अवसर नहीं था, जो वह प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई रिश्वत की प्रकृति का होने का दावा करता है, उस कार्य के बाद जिसके लिए कथित रूप से रिश्वत मांगी गई थी, पहले ही किया जा चुका था। इस हद तक उच्च न्यायालय की टिप्पणी सही है कि सिर्फ इसलिए कि धन ने हाथ बदले, प्रस्तुत प्रकरण जैसे प्रकरणों में, यह वास्तविक रूप से नहीं माना जा सकता है कि यह एक मांग के अनुसरण में था, क्योंकि विधि में यह आवश्यक है कि अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के लिए, मांग से शुरू होने वाली, मांग, स्वीकृति और बरामदगी की एक पूरी श्रृंखला को पूरा करना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में, जब प्रारंभिक मांग ही संदिग्ध है, भले ही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भुगतान और बरामदगी के दो अन्य घटकों को साबित किया गया माना जा सकता है, श्रृंखला पूर्ण नहीं होगी। एक दंडात्मक विधि का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। [मोहम्मद रहीम अली बनाम असम राज्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1695 @ कण्डिका 45 और जय किशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 296 @ कण्डिका 24]। जब हम इसके एतस्मितन पश्चात अधिनियम की धारा 20 के तहत धारणा पर लौटेंगे, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि जबकि विशिष्ट विधि के तहत एक विपरीत जिम्मेदारी एक अभियुक्त पर रखी जा सकती है, फिर भी, ऐसी धारणा नहीं हो सकती है जो अभियुक्त पर अनावश्यक रूप से जिम्मेदारी डालती है। परिताला सुधाकर बनाम तेलंगाना राज्य, 2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1072 में, यह निम्नानुसार कहा गया थाः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'21. जहाँ तक राज्य का निवेदन है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत धारणा, जैसा कि तब थी, अपीलार्थी के विरुद्ध काम करेगी, हमारे पूर्वोक्त विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के मध्य शत्रुता के तत्व की पृष्ठभूमि में मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 2 एस. सी. सी. 250 में घोषणा के संदर्भ में अधिनियम की धारा 20 के तहत धारणा अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं होगीः

22. अभियोजन पक्ष के प्रकरण में उपरोक्त विसंगतियों को देखते हुए, हमारा मत है कि अपीलार्थी द्वारा स्थापित बचाव पक्ष की कहानी को पूरी तरह से असंभव नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां अधिनियम की धारा 20 के

संदर्भ में सबूत का भार अभियुक्त पर था। अन्यथा भी, जहां मांग साबित नहीं हुई है, धारा 20 का भी कोई प्रयोग नहीं होगा। (भारत संघ बनाम पूर्णेन्दु विश्वास [(2005) 12 एस. सी. सी. 576:(2005) 8 स्केल 246] और टी. सुब्रमण्यन बनाम टी. एन. राज्य [(2006) 1 एस. सी. सी. 401:(2006) 1 स्केल 116])।"

36. लोक सेवक द्वारा परितोषण की मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए, यह ध्यान में रखना होगा किः

(i) यदि लोक सेवक से कोई मांग किए बिना रिश्वत देने वाले द्वारा भुगतान करने का प्रस्ताव है और लोक सेवक केवल प्रस्ताव को स्वीकार करता है और परितोषण प्राप्त करता है, तो यह धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का प्रकरण है। ऐसे प्रकरण में लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) यदि लोक सेवक कोई मांग करता है और रिश्वत देने वाला मांग को स्वीकार करता है और मांगे गए परितोषण की पेशकश करता है जो बदले में लोक सेवक द्वारा प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्ति का प्रकरण है। प्राप्ति के प्रकरण में, परितोषण की पूर्व मांग लोक सेवक से होती है। यह धारा 13 (1) (घ) **(i)** और **(ii)** के तहत अपराध है।

(iii) दोनों ही दशा में, रिश्वत देने वाले द्वारा दिए गए प्रस्ताव और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा एक तथ्य के रूप में साबित करना होगा। अन्य शब्दों में बिना किसी और चीज के केवल परितोषण की स्वीकृति या प्राप्ति इसे अपराध नहीं बना देगी।

37. (2012) 3 एस. सी. सी. 552 (कण्डिका 16 से 19) में प्रतिवेदित **राकेश कपूर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेकर, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान

प्रकरण में आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (धारा 5 (1) (घ) सहपठित धारा 2) के साथ धारा 161, भा.द.वि. के तहत तैयार किया गया था, जबकि विचारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (धारा 7 और 13 (1) (घ) के तहत चला। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन के लिए मंजूरी 18.02.1988 को जारी की गई थी, जो 01.08.1988 को 1988 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले है। उपरोक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यद्यपि, **(1998) 5 एस. सी. सी. 39** में प्रतिवेदित **नर बहादुर भंडारी व एक अन्य बनाम सिक्किम राज्य व अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने कण्डिका 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "10. याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलें 1988 के अधिनियम के उपबंधों की गलत समझ पर आधारित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 केवल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को संदर्भित करती है और धारा 3 के तहत गठित विशेष न्यायालयों को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता होगी परन्तु धारा 3 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।अधिनियम के दायरे को समझने के लिए इसे अधिनियम के अन्य उपबंधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। 1988 के अधिनियम की धारा 30 (1) 1947 और 1952 के अधिनियमों को निरस्त करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 1947 के अधिनियम के तहत किया गया कोई भी अपराध उक्त अधिनियम के निरसन के बाद विचारण योग्य नहीं रहेगा। आम तौर पर साधारण खण्ड अधिनियम 34 की धारा 6 लागू होगी और अन्वेषण सहित कार्यवाही को जारी रखने में सक्षम बनाएगा जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं किया गया था। साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार स्थिति ऐसी होगी जैसे कि 1947 का अधिनियम उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर अपराध का विचारण करने के उद्देश्य से लागू रहेगा। साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 यद्यपि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह स्पष्ट करती है कि यदि निरसन अधिनियम में कोई अलग आशय दिखाई देता है तो उक्त स्थिति प्राप्त नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में, 1988 का अधिनियम निरसन अधिनियम है। धारा 30 की उप-धारा (2) निम्नानुसार हैः

> "30. (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जबकि उक्त उप-धारा एक ओर यह सुनिश्चित करती है कि साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 का अनुप्रयोग पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है, दूसरी ओर यह एक अलग आशय को व्यक्त करती है जैसा कि उक्त धारा 6 द्वारा परिकल्पित है। उपरोक्त उप-धारा के अंतिम भाग में एक विधिक कल्पना का परिचय दिया गया है जिसके तहत 1947 के अधिनियम के तहत या उसके अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई या कार्रवाई 1988 के अधिनियम के संबंधित उपबंधों के तहत या उनके अनुसरण में की गई या की गई मानी जाएगी। अर्थात्, कल्पना यह है कि 1988 का अधिनियम तब लागू हुआ था जब ऐसा किया गया था या कार्रवाई की गई थी।"

38. सर्वोच्च न्यालालय के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि अधिनियम, 1988 के अधिनियमन से पहले कोई मंजूरी प्रदान की गई थी, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्त अधिनियम के निरसन के बाद उस पर विचार नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 30 (2) के तहत व्यावृत्ति खंड को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत की गई कार्रवाई नए अधिनियम, 1988 के तहत वैध मानी जाएगी, परन्तु जंहा वह नए अधिनियम 1988 के उपबंधों के साथ असंगत न हों।

39. यद्यपि, परितोषण की मांग और स्वीकृति को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता कार्यवाही को अपोषणीय बना देती है। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हुए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. पूर्वगामी के आलोक में, अभियोजन पक्ष सबूत के अपने भार का उन्मुक्त करने में विफल रहा है। साक्ष्य, चाहे मौखिक हो, दस्तावेजी हो, या परिस्थितिजन्य हो, रिश्वत के कथित अपराध के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में विफल है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्ध अपोषणीय है।

41. तदानुसार, अपील स्वीकार की जाती है। उपर्युक्त उपबंधों के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंड को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है, और अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

42. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी. एन. एस. एस.) की धारा 481] के अनुसार उसके जमानत बंधपत्र और छह माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे। रजिस्ट्री को आवश्यक जानकारी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

सही /-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 30 (2) के तहत व्यावृत्ति खंड को देखते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत की गई कार्रवाई को नए अधिनियम, 1988 के तहत वैध माना जाएगा, परन्तु जंहा वे अधिनियम, 1988 के उपबंधों के साथ असंगत न हों।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**